न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी रवि वर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

प्रा0पत्र संख्या–03/2021
प्रा0पत्र प्रविष्टि दिनांक–15.01.2021
निर्णय दिनांक–01.09.2021

छोटूलाल पुत्र रोडूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम बिलायतीपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार, पीपलू जिला टोंक (राज0)

अधिवक्ता प्रार्थी–श्री नन्दकिशोर शर्मा
अप्रार्थी–तहसीलदार, पीपलू

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

दिनांकः–01.09.2021

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि भूमि आराजी ख0न0 17 रकबा 0.0126 हैक्ट. गै.मु. चाह, ख0न0 18/116 रकबा 3.2751 हैक्ट., ख0न0 18/117 रकबा 0.2908 हैक्ट. कुल किता 03 कुल रकबा 3.5785 हैक्ट. वाके ग्राम बिलायतीपुरा पटवार हल्का गहलोद, भू.अ.नि. नानेर तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0) में स्थित हैं। जिसका प्रार्थी सह खातेदार काश्तकार है। उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थी का नाम संहवन से छोटू लाल पुत्र रोडूलाल की जगह पर प्रेमा पुत्र रोडू लिख दिया गया जबकि प्रार्थी का सही नाम छोटूलाल पुत्र रोडूलाल है। बचपन में प्रार्थी को प्रेमा के नाम से पुकारते थे इस कारण प्रार्थी का नाम उक्त आराजीयात में प्रेमा दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थी का सही नाम छोटू लाल पुत्र रोडू लाल हैं तथा उसके सम्पूर्ण दस्तावेज राशनकार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, अंकतालिका आदि में उसका नाम प्रेमा पुत्र रोडू की जगह पर छोटू लाल पुत्र रोडू लाल है। प्रार्थी को गांव में छोटू लाल के नाम से ही जानते व पहचानते है तथा गांव में प्रेमा पुत्र रोडू के नाम का कोई व्यक्ति नहीं हैं तथा प्रार्थी के सभी दस्तावेजों में प्रार्थी का सही नाम छोटू लाल पुत्र रोडू लाल हैं जो सही है, लेकिन उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में संहवन से प्रेमा पुत्र रोडू अंकित कर दिया गया जो गलत है। जिसके कारण प्रार्थी को कई प्रकार की परेशानिया का सामना करना पड़ रहा है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम प्रेमा पुत्र रोडू अंकित किया गया हैं जो एक लिपिकीय त्रुटी हैं। जिसको दुरूस्त किया जाकर उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के गलत नाम प्रेमा पुत्र रोडू के स्थान पर छोटू लाल पुत्र रोडू लाल किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः प्रा0पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के त्रुटीपूर्ण नाम प्रेमा पुत्र रोडू के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम छोटू लाल पुत्र रोडू लाल किये जाने के आदेश फरमावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी तहसीलदार, पीपलू की गई तथा अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू से राजस्व रिकॉर्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार, पीपलू ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त उनवानी प्रकरण वाके ग्राम बिलायतीपुरा के आराजी ख0न0 17, 18/116, 18/117 में प्रार्थी का नाम प्रेमा

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

पुत्र रोडू जाति मीणा सह खातेदार के रूप में दर्ज है जो कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.09.1989 पृष्ठ संख्या 198 जि.स. 168 क्रम संख्या 1004 के अनुसार प्रार्थी का क्रेता की हैसियत से प्रेमा पुत्र रोडू अंकित है। ग्राम बिलायतीपुरा पहूँचकर उपस्थित मौतबिरान से की गई जानकारी अनुसार प्रेमा पुत्र रोडू बचपन का नाम होना बताया गया। जिसका व्यस्क होने पर नाम छोटू लाल पुत्र रोडू लाल होना बताया गया है। ग्रामवासियों ने बताया की प्रेमा पुत्र रोडू को ही छोटू लाल पत्रु रोडू लाल के नाम से जाना जाता है अर्थात प्रेमा पुत्र रोडू अलग से कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। प्रेमा व छोटू लाल दोनो एक ही व्यक्ति हैं। उक्तानुसार रिपोर्ट प्रेषित है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। हमने बहस उभयपक्ष सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा कि भूमि आराजी ख0न0 17 रकबा 0.0126 हैक्ट. गै.मु. चाह, ख0न0 18/116 रकबा 3.2751 हैक्ट., ख0न0 18/117 रकबा 0.2908 हैक्ट. कुल किता 03 कुल रकबा 3.5785 हैक्ट. वाके ग्राम बिलायतीपुरा पटवार हल्का गहलोद, भू.अ.नि. नानेर तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0) में स्थित हैं। जिसका प्रार्थी सह खातेदार काश्तकार है। उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थी का नाम संहवन से छोटू लाल पुत्र रोडू लाल की जगह पर प्रेमा पुत्र रोडू लिख दिया गया जबकि प्रार्थी का सही नाम छोटू लाल पुत्र रोडू लाल है। बचपन में प्रार्थी को प्रेमा के नाम से पुकारते थे इस कारण प्रार्थी का नाम उक्त आराजीयात में प्रेमा दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी के सम्पूर्ण दस्तावेज राशनकार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, अंकतालिका आदि में छोटू लाल पुत्र रोडू लाल है। प्रार्थी को गांव में छोटू लाल के नाम से ही जानते व पहचानते है तथा गांव में प्रेमा पुत्र रोडू के नाम का कोई व्यक्ति नहीं हैं लेकिन उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में संहवन से प्रेमा पुत्र रोडू अंकित कर दिया गया जो गलत है, जिसको दुरूस्त किया जाकर उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के त्रुटीपूर्ण नाम प्रेमा पुत्र रोडू के स्थान पर सही नाम छोटू लाल पुत्र रोडू लाल अंकित किया जावें।

अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू ने अपनी बहस में बताया की उक्त उनवानी प्रकरण वाके ग्राम बिलायतीपुरा के आराजी ख0न0 17, 18/116, 18/117 में प्रार्थी का नाम प्रेमा पुत्र रोडू जाति मीणा सह खातेदार के रूप में दर्ज हैं जो कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.09.1989 पृष्ठ संख्या 198 जि.स. 168 क्रम संख्या 1004 के अनुसार प्रार्थी का क्रेता की हैसियत से प्रेमा पुत्र रोडू अंकित है। ग्राम बिलायतीपुरा पहूँचकर उपस्थित मौतबिरान से की गई जानकारी अनुसार प्रेमा पुत्र रोडू बचपन का नाम होना बताया गया। जिसका व्यस्क होने पर नाम छोटू लाल पुत्र रोडू लाल होना बताया गया हैं। ग्रामवासियों ने बताया की प्रेमा पुत्र रोडू को ही छोटू लाल पत्रु रोडू लाल के नाम से जाना जाता है अर्थात प्रेमा पुत्र रोडू अलग से कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। प्रेमा व छोटू लाल दोनो एक ही व्यक्ति हैं।

प्रार्थी ने अपने प्रा0पत्र के समर्थन में कार्यालय ग्राम पंचायत गहलोद का प्रमाण पत्र दिनांक 25.03.2021 प्रस्तुत किया। मुताबिक ग्राम पंचायत गहलोद के प्रमाण पत्र अनुसार छोटू लाल मीना पुत्र रोडू लाल मीना निवासी ग्राम बिलायतीपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक को प्रेमा पुत्र रोडू जाति मीना के नाम से भी जाना व पहचाना जाता है अर्थात दोनो नाम से एक ही व्यक्ति है एवं प्रार्थी ने अपने प्रा0पत्र के समर्थन में सहखातेदार लाला पुत्र रामचन्द्र जाति मीणा निवासी ग्राम बिलायतीपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक का शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया की भूमि आराजी ख0न0 17, 18/116, 18/117 वाके ग्राम बिलायतीपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है जो प्रार्थी व मेरी संयुक्त खातेदारी में दर्ज हैं। मैं सशपथ बयान करता हूँ कि प्रार्थी को जानता पहचानता हूँ। मैं उपरोक्त भूमि का पड़ोसी व संयुक्त खातेदार काश्तकार हूँ तथा प्रार्थी का नाम छोटू लाल पुत्र रोडू लाल जाति मीणा है, जबकि प्रार्थी का जमाबंदी में नाम संहवन से प्रेमा पुत्र रोडू लाल अंकित कर दिया गया है जबकि प्रार्थी का सही नाम छोटू लाल पुत्र रोडू लाल है। गांव मे प्रेमा पुत्र रोडूलाल नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं हैं। मैंने उक्त शपथ पत्र में प्रार्थी के नाम छोटू लाल पुत्र रोडू लाल के नाम को लेकर किसी प्रकार का तथ्य नहीं छिपाया हैं। मैंने यह शपथ पत्र बिना किसी दबाव के राजी खुशी लिखा हैं।

उप खण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner